



प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

वार्षिक प्रीमियम सिर्फ
330 रुपये में 2 लाख
रुपये का जीवन बीमा

- ✓ समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए जिनकी आयु-18 से 50 वर्ष है
- ✓ आपके बाद, आपके परिवार को मिलेगी बीमा राशि

बीमा अवधि, वार्षिक: 1 जून - 31 मई

- प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक द्वारा 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से.
- कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा.

तत्काल अपनी नज़दीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र/बीमा एजेंट से संपर्क करें और आयोजित कैम्पों में जाएं एवं फ़ार्म भरें और इस योजना का लाभ उठाएं

हमारे सहयोगी बैंक एवं बीमा कंपनियों की ओर से

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1111 पर कॉल करें या www.jansuraksha.gov.in/www.financialservices.gov.in पर जाएं.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

वार्षिक प्रीमियम सिर्फ
12 रुपये में 2 लाख
रुपये का दुर्घटना बीमा

- ✓ समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए जिनकी आयु-18 से 70 वर्ष है
- ✓ बीमा में दुर्घटनाजनित स्थायी विकलांगता भी शामिल

बीमा अवधि, वार्षिक: 1 जून - 31 मई

- प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक द्वारा 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से.
- कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा.

तत्काल अपनी नज़दीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र/बीमा एजेंट से संपर्क करें और आयोजित कैम्पों में जाएं एवं फ़ार्म भरें और इस योजना का लाभ उठाएं

हमारे सहयोगी बैंक एवं बीमा कंपनियों की ओर से

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1111 पर कॉल करें या www.jansuraksha.gov.in/www.financialservices.gov.in पर जाएं.

अटल पेंशन योजना

कम से कम निवेश,
बुढ़ापे में अधिक
से अधिक लाभ

प्रवेश के समय आयु	सालाना योगदान	सांकेतिक मासिक योगदान (रुपये में)	पॉलिसीधारकों को एवं उनकी पत्नी को मासिक पेंशन (रुपये में)	सांकेतिक कोष (संग्रहित राशि) लाभ, पॉलिसीधारकों के नामितों को (रुपये में)
18	42	210	5,000	8.5 लाख
20	40	248	5,000	8.5 लाख
25	35	376	5,000	8.5 लाख
30	30	577	5,000	8.5 लाख
35	25	902	5,000	8.5 लाख
40	20	1,454	5,000	8.5 लाख

योगदान के आधार पर, 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का निश्चित पेंशन

- प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक द्वारा 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से.
- कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा.

तत्काल अपनी नज़दीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र/बीमा एजेंट से संपर्क करें और आयोजित कैम्पों में जाएं एवं फ़ार्म भरें और इस योजना का लाभ उठाएं

हमारे सहयोगी बैंक एवं बीमा कंपनियों की ओर से

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1111 पर कॉल करें या www.jansuraksha.gov.in/www.financialservices.gov.in पर जाएं.

